प्रेस नोट- 25.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा स्वंय को गोली मारकर घायल करने का षडयंत्र रचने वाले 01 अभियुक्त को उसके 01 साथी व घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा सहित किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ0 बजेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा स्वंय को गोली मारकर घायल करने का षडयंत्र रचने वाले 01 अभियुक्त को उसके 01 साथी व घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.06.2021 को वादी मानिक चन्द्र पुत्र बच्चन लाल निवासी बादरीपूठ थाना बसरेहर द्वारा अपने बेटे मनीष कुमार को गुड्डू पुत्र जगदीश नि0 उपरोक्त एवं 03 अज्ञात युवकों द्वारा जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल करने की सूचना दी गई थी। सूचना के आधार पर थाना बसरेहर पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 114/21 धारा 307 भादवि बनाम गुड्डू व अन्य 03 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी सैफई द्वारा थानाध्यक्ष बसरेहर को घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थानाध्यक्ष बसरेहर द्वारा थाना बसरेहर से पुलिस टीम गठित कर घटना के संबंध में निरंतर कार्यवाही की जा रही थी इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा घटना से संबंधित इलैक्ट्रानिक एवं मैनुअल साक्ष्यो तथा विवेचना से संकलित साक्ष्यों के आधार पर घटना का संदिग्ध होना प्रतीत हुआ तथा पुलिस टीम द्वारा गहनता से जांच करने पर घटना पूर्णत: संदिग्ध पाई गई एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर पीडित द्वारा स्वयं को गोली मारने की बात प्रकाश में आयी।

जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त मनीष एवं उसके अन्य साथी आकाश उर्फ रियाज को दिनांक 24.06.2021 को थाना बसरेहर क्षेत्रान्तर्गत बादरीपूठ बंबा से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त मनीष द्वारा बताया गया कि वह अपने ही गांव की एक लड़की से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था जिसे लेकर लड़की के परिवारीजन नाराज थे और वह यह रिश्ता नहीं चाहते थे। इसी कारण मेरे द्वारा अपने मित्र आकाश उर्फ रियाज के साथ मिलकर योजना बनाकर लड़की के परिवारीजनों को दबाव में लेने तथा उनसे पैसा वसूलने के उद्देश्य से अपने ऊपर स्वयं गोली चलाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था।

उक्त प्रकरण में थाना बसरेहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 114/21 धारा 307 भादवि में धारा 307 का लोप करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं पूछताछ के आधार पर धारा 182,388,120बी भादवि की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1. मनीष पुत्र मानिकचन्द निवासी बादरीपूठ थाना बसरेहर इटावा।
- 2. आकाश उर्फ रियाज पुत्र अभयराम निवासी बादरीपूठ थाना बसरेहर इटावा।

बरामदगी का विवरण-

- 1. 01तमंचा 315 बोर (घटना में प्रयुक्त) बरामद अभियुक्त मनीष
- 2. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 3. 01 चाकू (अभियुक्त आकाश उर्फ रियाज से बरामद)

अभियुक्तों से की गई बरामदगी के संबंध में दर्ज अभियोगों का विवरण-

- 1. मु0अ0सं0-114/2021 धारा 182/388/120B भा0द0वि0 थाना बसरेहर इटावा बनाम अभियुक्त मनीष व आकाश उर्फ रियाज।
- 2. मु0अ0सं0-116/2021 धारा 3/25A.ACT थाना बसरेहर इटावा बनाम अभियुक्त मनीष।
- 3. मु0अ0सं0-117/2021 धारा 4/25A.ACT थाना बसरेहर इटावा बनाम अभियुक्त आकाश उर्फ रियाज।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>- थानाध्यक्ष विनोद यादव, थाना बसरेहर इटावा,उ०नि० श्री प्रशान्त कुमार,का० मोहित कुमार,का० अविशान्त,

सोशल मीडिया सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा